न्यायालयः अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी।

उपस्थिति – श्री विवेक कुमार

परिवाद पत्र सं0–202/2022
कमोदी कुमारी बनाम राजेश कुमार वो0

दिनांक
23.03.2026

परिवादिनी की ओर से साक्षी की हाजरी दी गई। विचारण के सभी तीन अभियुक्त की हाजरी दी गई। परिवादिनी की ओर से इजाजतनामा एवं उभय पक्ष की ओर से सुलहनामा दाखिल किया गया। वाद पुकारा गया। वाद प्रस्तुत किया गया। सुना। साक्षी सं0–04 कमोदी कुमारी का सुलह सलाह के आधार पर मुख्य परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण लिया गया। साक्षी उन्मुक्त हुए। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता मौखिक निवेदन करते हैं कि परिवादिनी को मो0 2,70,000/– (दो लाख सत्तर हजार) रुपया का डिमाण्ड ड्राफ्ट दिया गया। अतएव अभियुक्तों को प्रस्तुत वाद की धारा–323, 498–ए भा0द0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से उन्मोचित करने की कृपा की जाए।

अभियुक्तों को उन्मोचित करने के बिन्दू पर उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्षों के बीच सुलह सलाह हो चुका है। परिवादिनी ने मो0 2,70,000/–(दो लाख सत्तर हजार) रुपया का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त कर लिया है तथा परिवादिनी ने अभियुक्तगण पर लगाये गये अभियोग से इनकार किया है, जिसके पश्चात् इस वाद के तीनों अभियुक्त क्रमशः–01 राजेश कुमार 02. शिवचन्द्र राय 03. शिवो देवी को धारा–323, 498–ए भा0द0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत साक्ष्य के आभाव में वाद से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण तथा उनके जमानतदार को जमानत तथा बंधपत्र के दायित्वों से भी मुक्त किया जाता है। वाद को द0प्र0सं0 की धारा–245(2) के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। तद्नुसार इस वाद का निस्तारण किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अनु0 न्या0 दंडा0, पुपरी
सीतामढ़ी।